



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०- 21.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र रोतेलाल निवासी जहानगंज थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 387/1994 वाद स०- 16261/2024 धारा- 379,411 भा०द०वि० कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.01.2025 को मा० न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) फरु० द्वारा अभि को जेल में बिताई गयी अवधि व 1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० आरती शर्मा



पैरोकार का० रोहित कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि०- 21.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दलवीर पुत्र रामचरन शाक्य निवासी कादरदादपुर थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 365/2018 वाद स०- 1367/2022 धारा- 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.01.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट फर्रु० द्वारा अभि को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री शैलेश कुमार सिंह



कोर्ट मोहरीर हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० मनोज कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि०- 21.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1.यशवीर पुत्र रामरतन 2. राजीव पुत्र रामनाथ नि०गण मानपुर थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद सु०अ०सं०- 222/2016 वाद स०- 82/2016 धारा- 342,506 भा०द०वि० व 6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि०गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.01.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रु० द्वारा दोषसिद्ध कर अभियुक्त गण प्रत्येक को 01-01 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी -श्री प्रदीप कुमार सिंह



कोर्ट मोहरीर हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार का० कृष्णवीर सिंह



एक व्यक्ति शिक्षित होगा,
संसार परिवार शिक्षित होगा।
- महात्मा गांधी